राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 17 जून, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 193वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो साइजा	सदस्य
4. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5. सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6. सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
7. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
3. सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
4. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
5. श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
6. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं. 193/I/1:

तारीख 15 जून, 2019 को आयोजित आयोग की 192वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 15 जून, 2019 को आयोजित आयोग की 192वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 193/I/2:

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा राज्य महिला आयोगों का क्षमता निर्माण (एलबीएसएनएए);

आयोग ने नोट कर लिया है और एलबीएसएनएए, मसूरी के सहयोग से राज्य महिला आयोगों के लिए, 26,37,800 रूपये (केवल छब्बीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ रूपये) के प्राक्कलित व्यय पर जिसमें से 19,78,350 रूपये (केवल उन्नीस लाख अठत्तर हजार तीन सौ पचास रूपये) पहली किश्त के रूप में निर्मोचित कर दिए गए हैं, दो क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है। यह भी उल्लेख किया गया कि यदि दूसरे कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया जा सकता है तब एलबीएसएनएए से प्रतिदाय मांगा जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 193/I/3:

आयोग में पुष्प व्यवस्था प्रदान करने के लिए अभिकरण की नियुक्ति

आयोग ने विचार-विमर्श किया और तारीख 10 जून, 2019 से 4,96,400/- रूपये (केवल चार लाख छियानवे हजार चार सौ रूपये) के वार्षिक प्राक्कलन पर राष्ट्रीय महिला आयोग में पुष्प व्यवस्था प्रदान करने के लिए मैसर्स बेहरा पुष्पविक्रेता को नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 193/I/4:

वर्ष 2019-20 के लिए मीडिया योजना

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची टिप्पण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के आईईसी के क्रियाकलापों के लिए 4 करोड़ रूपये (जिसमें पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए 1 करोड़ रूपये भी हैं) की कुल प्राक्कलित लागत पर मीडिया योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 193/I/5:

वर्ष 2019-20 के लिए विधियों का पुनर्विलोकन

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची टिप्पण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विधि के पुनर्विलोकन के विषयों के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 193/I/6:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतिम लेखे

आयोग ने विचार-विमर्श किया और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतिम लेखा के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 193/II/1:

कारागारों के लिए विहित प्रोफार्मा में की जानकारी की संवीक्षा करने के पश्चात् संप्रेषित आयोग के टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार संस्थाओं के मामले में माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की गई कार्रवाई रिपोर्टों को स्वीकार करने के अनुसमर्थन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 193/II/2:

मनोरोग गृहों की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुमोदन

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार चार संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्टों, जिसमें उनमें अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें भी शामिल हैं, पर अनुमोदन प्रदान किया। आयोग ने यह निदेश भी किया कि रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए रिपोर्टों को संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाए।

कार्यसूची मद सं. 193/II/3:

तारीख 31.05.2019 तक उपगत व्यय

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 31.05.2019 तक की व्यय विवरणी को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 193/II/4:

स्व-प्रेरणा संज्ञान पर जांच समिति की रिपोर्ट (फा.सं. 15/16/2019-20/रा.म.आ.(एसएम)

आयोग ने विचार-विमर्श किया और अलवर सामूहिक बलात्संग के मामले में गठित दो सदस्यों के तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 193/II/5:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत और जांच प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपोर्ट (मई, 2019) को नोट कर लिया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित टिप्पणियां की गई:

(i) की गई कार्रवाई की रिपोर्टों के आधार पर मामलों को बंद करने के संबंध में सुधार करने की आवश्यकता है इसके साथ साथ नियमित रूप से अनुस्मारक जारी किए जाए जिससे कि सभी मामलों में की गई कार्रवाई रिपोर्टों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जा सके।

(ii) संबंधित प्राधिकारियों से की गई कार्रवाई रिपोर्टों की मांग पत्र का उत्तर देने के लिए अधिकतम 30 दिन की समय सीमा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां संबंधित सदस्य ऐसी वांछा करे वहां मामले की प्रकृति पर निर्भर करते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पहले भी मांगी जा सकती है।

(iii) लंबित शिकायतों के बारे में आकड़ों को सदस्यों को उस समय दिया जाए जब वे राज्यों का दौरा करते हैं। सदस्य राज्य प्राधिकारियों को लंबित मामलों विशेष रूप से वर्ष 2017 और 2018 से संबंधित पुराने मामलों की संख्या के बारे में बताएंगे।

कार्यसूची मद सं. 193/II/6:

आयोग की 192वीं बैठक के वाल्यूम I की कार्यसूची मद सं. 2 पर की गई कार्रवाई

आयोग ने आयोग के विनिश्चय के अनुपालन को नोट कर लिया है।

पटल कार्यसूची 1:

दौरा रिपोर्ट- मामला सं.: 15/41/2019-20/रा.म.आ. (एसएम)- "निर्वाचन के दो दिन पश्चात् उत्तर प्रदेश की विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष की आगरा न्यायालय के अंदर गोली मारकर हत्या" की मीडिया रिपोर्ट पर जांच करने गई तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट।

आयोग ने तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

पटल कार्यसूची 2:

दौरा रिपोर्ट- मामला सं.: 15/35/2019-20/रा.म.आ. (एसएम)- न्याय न मिलने का बलात्संग की एक उत्तरजीवी के दावे की बाबत मीडिया रिपोर्ट पर जांच करने गए तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट।

आयोग ने तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(मीनाक्षी गुप्ता)	**(रेखा शर्मा)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्ष, रा.म.आ.**